(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं0 06 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक: 04 मई, 2018

विषयः आईटीसी (एचएस) 2017– अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 7 के तहत विग्ना मूंगो (एल.) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल.) विल्कजेक प्रजाति की फलियों की आयात नीति में संशोधन।

अधिसूचना सं० 22/2015–2020 दिनांक 21 अगस्त 2017 के तहत उड़द और मूंग के आयात को 3 लाख मी०टन वार्षिक कोटे के साथ प्रतिबंधित सूची में डाला गया।

सा० आ०(अ०): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना सं० 22/2015–2020 दिनांक 21 अगस्त, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय–7 की मदों की आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:–

एक्जिम कोड	मद का विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
0713 31 00	विग्ना मूंगो (एल.) हेप्पर अथवा *विग्ना रेडिएटा (एल.) विल्कजेक प्रजाति की फलियां*	प्रतिबंधित	उडद/मूंग का आयात इस अध्याय की नीतिगत शर्त–3 के अधीन है।	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
071390	**अन्य**				
0713 90 10	टुकडा	मुक्त, पिजन पीज (केजानस केजन) /तूअर दाल को छोड़कर जो प्रतिबंधित है।		मुक्त पिजन पीज (केजानस केजन)/ तूअर दाल तथा विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियां, विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों को छोड़कर, जो प्रतिबंधित है।	विग्ना मूंगो (एल), हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों विग्ना मूंगो (एल), हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों का आयात नीतिगत शर्त सं० 3 के अधीन है।

0713 90 90	अन्य	मुक्त, पिजन पीज (केजानस केजन)/तूअर दाल को छोड़कर जो प्रतिबंधित है।		मुक्त, पिजन पीज (केजानस केजन)/ तूअर दाल और विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों, विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों जो प्रतिबंधित है; को छोड़कर।	विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर या विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों का आयात नीतिगत शर्त 3 के अधीन है।

नीतिगत शर्त 3: अधिसूचित की जाने वाली प्रकिया के अनुसार उड़द और मूंग का आयात उपर्युक्त सभी तीन एचएस कोडों के तहत 3 लाख मी. टन (1.5 लाख मी० टन प्रत्येक) के वार्षिक (राजकोषीय वर्ष) कोटे के अधीन होगा। यह प्रतिबंध किसी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय समझौता/समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात संबंधी प्रतिबद्धताओं पर लागू नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः एचएस 07133100 के तहत उड़द और मूंग के अलावा एक्जिम कोडः 07139010 और 07139090 के तहत उड़द और मूंग का टुकड़ों और अन्य रुपों में भी आयात प्रतिबंधित है जिसमें सब के लिए 3 लाख मी० टन का वार्षिक आयात कोटा होगा।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः– dgft@nic.in

(फा० सं०. एम–5012/300/2002–पीसी–2(ए)/ई–5168 से जारी)